GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No 68/92

No.E(NG)I/91/CFP/11

New Delhi, Dt. 30-4-92.

The General Managers(P),
All Indian Railways.

Sub: Examination for promotion of Group 'D' employees to Group 'C' - fixation of schedule.

In pursuance of the discussions in the PNM/AIRF meeting held on 11.2.92 and in slight modification of the instructions contained in para 3 of Board's letter of even number dated 3.7.91, on the above subject, it has been decided by the Ministry of Railways that the three years service required for earning eligibility to appear in the departmental examination for promotion of Group 'D' employees to Group 'C' shall be computed on 31st December of the previous year, for any selection held during the following calendar year.

2. Please acknowledge receipt.

(K.B. LALL)
JOINT DIRECTOR, ESTABLISHMENT(N)
RAILWAY BOARD.

No.E(NG)I/91/CFP/11 New Delhi, dated 30-4-92.

Copy to:- (i) The General Secretary, All India Railwaymen's Federation, 4,State Entry Road, New Delhi-55 (with 35 spares).

(ii) The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3,Chelmsford Road, New Delhi-55 (with 35 spares).

(iii) The Members of the Departmental Council & National Council and the Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi-110 001.

for SECRETARY/RAILWAY BOARD.

Copy to:- E(NG)II, E(SCT)I & II, E(PSA)II, PC-III, E(Rep)I, II & III Branches - each with five spares.

Copy to:- E(LR)I Branch with 60 spares.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एन जी)I/91/सी एफ पी/II नई दिल्ली, दिनांक 4.92

महाप्रबंधक (पी),
सभी भारतीय रेलें.

विषय :- ग्रुप "डी" कर्मचारियों की ग्रुप "सी" में पदोन्नति के लिए परीक्षा ------ अनुसूची का निर्धारण.

उपरोक्त विषय पर 11.2.92 को आयोजित पी एस एम/ए आई आर एफ की बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में और बोर्ड के दिनांक 3.7.91 के समसंख्यक पत्र के पैरा 3 में उल्लिखित अनुदेशों के आशोधन में रेल मंत्रालय द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि आगामी पंचांग वर्ष के दौरान आयोजित किसी चयन के लिए ग्रुप "डी" कर्मचारियों की ग्रुप "सी" में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में शामिल होने के पात्र बनने के लिए अपेक्षित तीन वर्ष की सेवा पिछले वर्ष की 31 दिसम्बर से परिकलित की जाएगी ।

2. कृपया पावती दें ।

(के. बी. लाल)
संयुक्त निदेशक स्थापना (एन), रेलवे बोर्ड.

सं. ई (एन जी)I/91/सी एफ पी/II नई दिल्ली, दिनांक 4.92

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. जनरल सेक्रेटरी, आल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली-55 (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली-55 (35अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड नई दिल्ली ।

के. रघुमणिअय्यर
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.